श्रीमान न्यायाधीश महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
के समक्ष

निग R. 371-PBR/15

रिविजन क्र.
प्रस्तुती दिनांक 13/1/2015

1. रमजान पिता गप्पू नायता
उम्र–40 वर्ष, धन्धा–कृषि कार्य
निवासी– पूवार्डा हप्पा तह. व जिला इन्दौर

2. शब्बीर पिता गप्पू नायता
उम्र–57 वर्ष, धन्धा–कृषि कार्य
निवासी– पूवार्डा हप्पा तह. व जिला इन्दौर — निगरानी कर्तागण

वि रु द्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार महोदय,
सॉवेर जिला इन्दौर — प्रत्यार्थी

भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी याचिका

भू–राजस्व की धारा 44 (2) के अन्तर्गत द्वितीय अपील पर श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सलूजा जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/07/13 से अपील अवधि बाहर होने का आदेश पारित होने से असंतुष्ठ होकर सदर यह निगरानी करना भाग।

महोदय,

निगरानीकर्ता प्रार्थना करते है कि :–

1. यह कि, निगरानीकर्ता की कृषि भूमि ग्राम पूवार्डाल हप्पा, सॉवेर तहसील जिला इन्दौर पर सर्वे क्र. 218, 219, 224, 227/3 रकबा 0.291, 0.656, 0.870, 0.466 कुल रकबा 2.283 लगान 19.75 पर. भूमि स्वामी होकर 10 वर्षो से भी अधिक वर्षो से कृषि कार्य करते है। और विधि अनुसार मौरूषी कृषक अनुसार भूमि स्वामी घोषित है और काबीज होकर कार्य करते है।

शेष..........2पर

2. यह कि, निगरानीकर्ता को मौरूषी कृषाधिकारी श्रीमान नायब तहसीलदार सॉवेर जिला इन्दौर ने प्रकरण क्र. 16/अ–6/94–95, भू–राजस्व संहिता 168, 109, 110, 190, 250 अन्तर्गत प्रकरण सुनकर गुण दोष के आधार पर भूमि स्वामी घोषित किया है जिसका आदेश पारित दिनांक 04/09/1995 है।

17.6.2014	आवेदकगण की ओर से श्री हरीश चौबे अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा निगरानी में जो अनुतोष चाहा गया था, वह व्यवहार न्यायालय से प्राप्त हो गया, इसलिये वह प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है। [signature] अ.स.न्या.	हरीश चौबे [signature] 17/6/14